

To,

Date: 20/06/2019

Principal Chief Conservator of Forest

Cum FCA Nodal Officer,

Jhalana Institutional Area

Aranaya Bhawan, Jaipur (Rajasthan)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. **FP/RJ/ROAD/38770/2019.**

Ref: EDS letter no. F14 () 2018/FCA/PCCF/EDS-I dated 17.05.2019

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS vide above cited letter regarding Forest Diversion Proposal **"Construction of B.T. Road from Nainbara to Vardi Khat Km 0/0 to 9/800 at Tehsil : Jhadol, District-Udaipur (Rajasthan)"**.

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on **MoEFCC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Point No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1	यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन की अवधि सही अंकित नहीं की गई है।	प्रत्यावर्तन की अवधि में संशोधन कर दिया गया है।
2	यूजर ऐजेन्सी द्वारा पुराने स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रकरणों का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	पुराने स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रकरणों का विवरण संलग्न कर दिया गया है।
3	संलग्न किये गये DGPS Map में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स के अक्षांश देशान्तर संख्या अंकित नहीं की गई है।	संलग्न किये गये DGPS Map में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स के अक्षांश देशान्तर संख्या अंकित कर दी गई है।
4	प्रस्ताव में संलग्न की गई प्रस्ताव की औचित्यता में किन ग्रामों को जोड़ने हेतु प्रस्तावित सड़क प्रस्तुत की गई है नैनबारा से सेरा पूर्व में ही रोड़ से जुड़ा हुआ है तो नवीन प्रस्तावित मार्ग को दिये जाने का क्या औचित्य है पूर्ण औचित्यता के साथ वैकल्पिक मार्ग का परीक्षण किया जाकर विश्लेषण रिपोर्ट मय KML File, GT Sheet & DGPS Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	औचित्यता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया है किन्तु ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तावित सड़क के अंतर्गत चार ग्राम (नैनबारा, जैकड़ा, तीनडोर, सारा) आते हैं जबकि वनाधिकार प्रमाण पत्र में केवल एक ग्राम नैनबारा अंकित है संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त संलग्न वनाधिकार प्रमाण पत्र में उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक कार्यवाही विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों में कांट छांट है जिसे सही किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रस्ताव में प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके संबंध में जिला कलेक्टर का गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश, जमाबन्दी, राजस्व मेप एवं KML File, GT Sheet & DGPS Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित	गैर वन भूमि के दस्तावेज, के.एम.एल व मेप संलग्न है।

	है।	
7	प्रशासनिक स्वीकृति में प्रस्तावित रोड़ 9.2 कि०मी० अंकित है जबकि प्रस्ताव 9.8 कि०मी० का प्रस्तुत किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न कर दी गई है।
8	प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रस्तावित सड़क 0/500 से 9/500 तक (9.0 कि०मी०) वन क्षेत्र में आती है जबकि मेप में देखे जाने पर प्रस्तावित सड़क 0/00 से 9/450 (9.450 कि०मी०) तक आती है कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर दी गई है।
9.	एरिया केलकुलेशन शीट ग्रामवार/खसरावार संलग्न नहीं है।	ग्रामवार/खसरावार एरिया केलकुलेशन शीट संलग्न है।
10.	क्रास सेक्शन संलग्न नहीं किया गया है।	क्रास सेक्शन संलग्न कर दिया गया है।
11.	बार चार्ट में प्रस्तावित रोड़ 6 मीटर अंकित है जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रस्तावित सड़क 5.50 मीटर चौड़ी अंकित की गई है संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित बार चार्ट संलग्न कर दिया गया है।
12.	संलग्न राजस्व मेप एवं जमाबंदी एक ही ग्राम नैनबाड़ा की संलग्न की गई है जबकि प्रस्तावित सड़क चार ग्रामों में आती है पूर्ण जमाबन्दी एवं राजस्व मेप संलग्न किये जावे।	प्रस्तावित सड़क में आने वाले सभी गावों का राजस्व मेप एवं जमाबंदी संलग्न कर दी गई है।


 (मोहम्मद यूनुस)
 सहायक अभियन्ता
 सा.नि.वि. उपखण्ड-II
 झाड़ोल, जिला-उदयपुर

Place: Udaipur

Signature of User Agency

Office Seal

Date: 20.06.2019